



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail: eepdalmora@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्राक 504 / 50 सी०
सेवा में,

दिनांक 26 अप्रैल 2019

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत कठपुडिया से कलोडिया (कतुनिया) तक मोटर मार्ग लम्बाई 1.850 कि०मी० में प्रभावित 0.536 है० वन भूमि का गैर वानिकी-कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव सं० 16999/2015)

संदर्भ:- आपका पृष्ठांकन पत्र सं० मैमो/12-1(2) दिनांक 08.10.2018
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

S.No	Objection	निराकरण
1	Digital map and SOI toposheet of proposed road are not authenticated by DFO at para C(iii) and C(iv) in Para I.	डिजिटल मैप एवं सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के हस्ताक्षरोपरान्त पार्ट । के Para C(iii), (iv) में अपलोड कर लिया गया है।
2	Justification for locating the project in forest lan is not C/S by DFO.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की माँग का प्रपत्र पार्ट । के Para D में अपलोड कर लिया गया है।
3	Employment detail seems incorrect.	रोजगार सम्बन्धित सूचना पार्ट । के Para D में अंकित कर ली गयी है।
4	VLC proceedings of Kalodiya is not found uploaded at para K in Part I.	ग्राम कलोडिया का ग्राम स्तर का वनाधिकार प्रपत्र पार्ट । के Para K में अपलोड कर लिया गया है।
5	Calculation found incorrect in land schedule uploaded in additional document.	Land schedule प्रपत्र पार्ट । के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या 5 में अपलोड कर लिया गया है।
6	Administrative approval is not found clear.	Administrative approval प्रपत्र की स्पष्ट प्रति पार्ट । के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या 51 में अपलोड कर लिया गया है।
7	Density mentioned in Part II is 0.3 for 95 trees in 0.536 ha which does not seem correct.	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
8	Two Npv Calculation sheet found uploaded for different density and different amount.	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
9	At para 16 against S.No 5.3 in Para II no comment are made by DFO.	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
10	It is also seen that the record do not show the existing road hence justification of the road cannot be ascertained till then.	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का उल्लेख प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की माँग के प्रपत्र में करते हुये प्रपत्र पार्ट । के Para D में अपलोड कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Rumal
25.4.2019

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।